संख्या-23/2024/002-180-12-5-2024-1790797-12-5099-15-2024

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-गु०नि०-109/609/पुनर्विनियोग/2023-24, दिनांक 27.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 01-वेतन एवं 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना के मानक मद 01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता, 55-मकान किराया भत्ता एवं 13-टेलीफोन में उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में धनराशि रू० 34.19 लाख (रूपये चौतीस लाख उन्नीस हजार मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-741 दिनांक 21.03.2024 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वर्तमान में प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक उ0प्र0 का होगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलान्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
(6) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(7) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का होगा।
(9) योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत है।
(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-सयम पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 34,19,000 (रुपये चौंतीस लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

संख्या-23/2024/002-180-12-5-2024-1790797-12-5099-15-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20232024-180-12-5-2024-1790797-12-5099-15-2024

विषयः- उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401000010300 (कृषि निदेशालय का सामान्य अधिप्रभार)	01 (वेतन)	49,38,97,000 रुपये उनचास करोड़ अड़तीस लाख सत्तानवे हजार मात्र	14,27,000 रुपये चौदह लाख सत्ताईस हजार मात्र	-14,27,000 रुपये चौदह लाख सत्ताईस हजार मात्र	49,24,70,000	2023-2024
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	01 (वेतन)	36,56,000 रुपये छत्तीस लाख छप्पन हजार मात्र	12,41,000 रुपये बारह लाख इकतालीस हजार मात्र	-12,41,000 रुपये बारह लाख इकतालीस हजार मात्र	24,15,000	2023-2024
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	03 (संहगाई भत्ता)	16,45,000 रुपये सोलह लाख पैंतालीस हजार मात्र	6,95,000 रुपये छह लाख पंचानवे हजार मात्र	-6,95,000 रुपये छह लाख पंचानवे हजार मात्र	9,50,000	2023-2024
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	55 (मकान किराया भत्ता)	2,10,000 रुपये दो लाख दस हजार मात्र	49,000 रुपये उनचास हजार मात्र	-49,000 रुपये उनचास हजार मात्र	1,61,000	2023-2024
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	7,000 रुपये सात हजार मात्र	7,000 रुपये सात हजार मात्र	-7,000 रुपये सात हजार मात्र	0	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	20,30,000 रुपये बीस लाख तीस हजार मात्र	34,19,000 रुपये चौंतीस लाख उन्नीस हजार मात्र	54,49,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

- वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित व्ययाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है:-

- संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: बार ई-८ बजट-1-741 21/03/2024 -2023-24, दिनांक- फरवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 20-03-2024 18:54:20
Reason: Approved
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या :A012-20232024-180-12-5-2024-1790797-12-5099-15-2024 दिनांक 21/03/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।